पत्रांक : 11/वि1–50/2013..2156

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक :

के०वी०एन०सिंह,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)

पटना, दिनांक : ..10.\12.\, 2015

विषय : **माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के नियोजन के संबंध में।**

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1594 दिनांक 12.12.2014, 620 दिनांक–02.04.2015, 1304 दिनांक 30.06.15, 1397 दिनांक 13.07.15, पत्रांक 1550 दिनांक 14.08.15 एवं 1689 दिनांक 03.09.15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा चतुर्थ चरण अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के संबंध में निदेश दिया गया था। उल्लेखनीय है कि चतुर्थ चरण अंतर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए माह मार्च, मई, जुलाई, 2015 में नियोजन का कार्यक्रम निर्धारित करते हुए सितम्बर माह में चतुर्थ समव्यवहार की तिथि निर्धारित की गयी।

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत संगीत, नृत्य, ललित कला माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन के क्रम में नियोजन निकाईवार आवेदन लिए जा रहे थे साथ ही उच्च माध्यमिक शिक्षक अन्तर्गत संगीत शिक्षक एवं कम्प्यूटर शिक्षक का नियोजन भी प्रारंभ किया गया था।

बिहार विधान सभा चुनाव, 2015 के आदर्श आचार संहिता के प्रभावी हो जाने के कारण निदेशालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में उपरोक्त नियोजन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी थी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में पुस्तकालयाध्यक्ष के नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में पुस्तकालयाध्यक्ष का नियोजन किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलगप्पा विश्वविद्यालय के डिग्री की वैधता के संबंध में दिनांक 01.04.14 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में निदेशालय से से नियोजन हेतु निर्धारित की गयी थी, लेकिन नालंदा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, गया, मधुबनी एवं रोहतास आदि जिलों में पुस्तकालयाध्यक्ष का नियोजन विभिन्न सख्त निदेश के वाबजूद भी संबंधित नियोजन इकाईयों द्वारा नहीं किया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में पुनः नियोजन की प्रक्रिया निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार करने का निदेश दिया जाता है :–

F/ K.V.N.Singh 14.08.15

क्र०	गतिविधि	निर्धारित तिथि
चतुर्थ चरण अन्तर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक का नियोजन		
1	1.1 वैसे नियोजन इकाई जहाँ पूर्व निर्धारित तिथि के अनुरूप नियुक्ति पत्र वितरण हेतु तैयार थे, वहाँ नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि	16.12.2015
	1.2 अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के आलोक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ समव्यवहार के अन्तर्गत नियोजन की प्रक्रिया को संपन्न करनी है। चतुर्थ चरण अन्तर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन के क्रम में चतुर्थ समव्यवहार/ चतुर्थ समव्यवहार न होने की स्थिति में संबंधित समव्यवहार की तिथि :–	
	नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत	19.12.2015
	जिला परिषद	21.12.2015
चतुर्थ चरण अन्तर्गत उच्च माध्यमिक कम्प्यूटर शिक्षक एवं संगीत शिक्षक का नियोजन		
2	2.1 चतुर्थ चरण अन्तर्गत उच्च माध्यमिक कम्प्यूटर शिक्षक एवं संगीत शिक्षक का नियोजन के क्रम में प्रथम/द्वितीय समव्यवहार (विभागीय पत्रांक 1550 दिनांक 14.08.15) की तिथि :–	
	नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत	19.12.2015
	जिला परिषद	21.12.2015
	2.2 वैसे नियोजन इकाई जहाँ पूर्व में मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन/अनुमोदन नहीं हुआ था से संबंधित गतिविधि	
	2.3 नियोजन स्तर पर मेधा सूची के अनुमोदन/प्रकाशन की तिथि	22.12.2015
	2.4 मेधा सूची पर आपत्ति	23.12.15 से 07.01.16 तक
	2.5 नियोजन इकाईयों द्वारा अपत्तियों का निराकरण एवं मेधा सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन	10.01.2016
	2.6 मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जाँच	13.01.2016
	2.7 जिला परिषद् एवं शहरी निकाय द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	16.01.2016
	2.8 नियोजन इकाई द्वारा कॉन्सिलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निर्गत	
	नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत	18.01.2016
	जिला परिषद	20.01.2016
3	**माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत संगीत, नृत्य, ललित कला माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन**	
	विभागीय पत्रांक 1596 दिनांक 23.08.15 के आलोक में संगीत, नृत्य, ललित कला विषय में संबंधित अभ्यर्थियों से नियोजन इकाईवार पत्र प्राप्ति की तिथि – • अग्रेत्तर नियोजन कार्यक्रम की तिथि संसूचित की जायेगी।	14.12.2015 से 13.01.2016 तक
4	4.1 विभागीय पत्रांक 1551 दिनांक 14.08.2015 के आलोक में माध्यमिक प्रक्षेत्र अन्तर्गत **पुस्तकालयाध्यक्ष के नियोजन के लिए अंतिम** रूप से नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि	
	नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत	19.12.2015
	जिला परिषद	21.12.2015

उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार निम्नांकित निदेश के अक्षरशः अनुपालन के साथ नियोजन किया जाना आवश्यक है :–

1. जिला पदाधिकारी अपने दिशा–निदेश में उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया को संपन्न करायेंगे। साथ ही जिस नियोजन इकाई में नियोजन से संबंधित अभिलेख, दस्तावेज के अनुपलब्धता के कारण नियोजन की प्रक्रिया बाधित होने की स्थिति में दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को चिह्नित कर उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ–साथ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

F/ K.V.N.Singh 14.08.15

2. राज्य स्तर से नियोजन से संबंधित तिथि निर्धारित करने का उद्देश्य यही है कि एक ही तिथि को राज्य में कॉउन्सिलिंग की प्रक्रिया सम्पन्न हो साथ ही सभी अभ्यर्थियों को सामान्य रूप से कॉउन्सिलिग की जानकारी उपलब्ध हो जाये। अतः निर्धारित तिथि को कॉउन्सिलिंग करना अनिवार्य है। निदेशालय के पूर्वानुमति के बिना तिथि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

3. अधिसूचित नियुक्ति नियमावली के आलोक में नियोजन इकाई का दायित्व है कि विभागीय निदेश एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में वैध डिग्री अर्हताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन सुनिश्चित किया जाय। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से शिक्षक पात्रता परीक्षा फल के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का STET प्रमाण पत्र का मिलान अनिवार्य रूप से कर लिया जाय।

4. नियोजन इकाई द्वारा नियोजन से संबंधित सूचना का प्रकाशन संबंधित जिले के NIC के बेवसाइट पर किया जाना अनिवार्य है।

5. जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक यह सुनिश्चित करेगें की उपरोक्त निर्धारित तिथि को नियोजन ईकाई में नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न हो। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित नियोजन ईकाई के सदस्य सचिव से संपर्क स्थापित कर उत्पन्न कठिनाई के निराकरण हेतु पहल करेंगे। नियोजन न होने की स्थिति में सुस्पष्ट प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

नियोजन के संबंध में दिनांक–19.08.2015 को सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से विडियों कॉन्फेसिंग द्वारा समीक्षात्मक की जायेगी। कृपया निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन समीक्षा बैठक के पूर्व अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल पर उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,
10/12/15
(के०वी०एन०सिंह)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक– 11/वि1–50/2013 2156 पटना, दिनांक 10/12/2015

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/12/15
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

F/ K.V.N.Singh 14.08.15